F. No. 20/55/2019-IF-I

Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street, New Delhi
Dated 22nd November, 2019

To

Shri Dwarika Sharma,
S/o Puran Sharma,
J/ 42, First Floor,
Jorbag Lane,
P.S. : Lodhi Road,
New Delhi
PIN : 110003

Subject.: RTI application dated 4th November 2019 of Shri Dwarika Sharma.

Kindly refer to Coord. Section letter number 12/1/2019-Coord. dated 11th November 2019 transferring your application dated 4th November 2019 seeking certain information under RTI Act, 2005.

2. In so far as IF-I Section of this Department is concerned, no information is available in this regard. However, your application is being transferred to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) under section 6(3) of the RTI Act, 2005 with request to provide desired information directly to you.

3. Any appeal with regard to instant reply may be preferred to the Appellate Authority at the following address:

`Ms. Sindhu Pillai A, Director (IF.I) / Appellate Authority, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi – 110 001`.

Yours faithfully,

(Soumyajit Ghosh)
Under Secretary (IF.I) & CPIO

Copy to :

(i) The CPIO, India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), 5th Floor, Block 2, Plate A & B, NBCC Tower, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 -- with the request to provide the requisite information directly to applicant under intimation to this Department. A copy of the aforesaid RTI application is accordingly forwarded herewith.

(ii) CPIO, Coord. Section, DFS.

इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड
India Infrastructure Finance Company Limited
13 DEC 2019
प्राप्त किया Received 2740

20/55/2019-IF-I
3

10

12/1/2019- समन्वय

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

वित्तीय सेवा विभाग

(समन्वय अनुभाग)

तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली,
दिनांक: 11-11-2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कु./श्रीमति/श्री द्वारिका शर्मा, से प्राप्त आवेदन के संबंध में |

कु./श्रीमति/श्री द्वारिका शर्मा, ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 04-11-2019 का आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस विभाग के समन्वय अनुभाग में दिनांक 08-11-2019 को प्राप्त हुआ है जो IF-I से संबंधित है | इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्हें हस्तांतरित किया जाता है |

2. मंत्रालय / विभाग / कार्यालय द्वारा उत्तर नियत समय-सीमा में सीधे आवेदक को भेजा जाए | यह भी अनुरोध किया जाता है की यदि यह आर टी आई आवेदन आपसे संबधित नहीं है तो इसे संबधित मंत्रालय / विभाग / कार्यालय को हस्तांतरित किया जाए |

1078

(मनीष कुमार मित्तल)
सी.पी.आई.ओ. एवं अवर सचिव (समन्वय), भारत सरकार
Tel: 23748717

सेवा में

श्रीमति/श्री S. Ghosh, अवर सचिव, आर.टी.आई., IF-I अनुभाग, वित्तीय सेवा विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली,

श्रीमति/श्री अवर सचिव, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, // मंत्रालय/विभाग, नई दिल्ली

11.11

ASO (S)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :- कु./श्रीमति/श्री द्वारिका शर्मा निवासी जे०/42, प्रथम तल, गोरखाग लेन, पी० एस० लोधी रोड, नई दिल्ली-3 को इस मामले में अतिरिक्त जानकारी के लिए उपर्युक्त लोक प्राधिकारी से संपर्क करने के परामर्श के साथ सूचनार्थ |

सं.खा.नि. 6
G.A.R. 6
[(See Rule 22 (i)] (TR

रसीद Receipt

सं. No. 9231 तिथि Dated 08/11/2019

प्राप्त किए Received From श्री द्वारिका शर्मा, नई दिल्ली से पत्रांक सहित with

Letter No. .... तिथि Dated 4/11/2019

कुल राशि The Sum of Rs. 10(दस) रुपये केवल

द्वारा नगद/चैक/ड्राफ्ट सं./भा.पो.आ. In Cash/By Cheque* By Bank Draft* I.P.O. No. 44F-083506

.... तिथि Dated. .... जारी Drawn on NEW DELHI

मद्दे on Accounts of Information Under RTI Act. 2005

भुगतान रूप में In Payment of Cash Section (DFS)

हस्ताक्षर / SIGNATURE
प्रभारी / INCHARGE
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ/RTI-Cell
वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
M/o Finance, D/o Financial Services
पद / DESIGNATION जीवन दीप, नई दिल्ली
Jeevan Deep, New Delhi

रू० Rs. 10/-

Subject to realization

1

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी

04/11/2019

सेवा में,

सचिव,

वित मंत्रालय, भारत सरकार, नौर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली ।

सूचना मांगनेवाले का पूरा नाम- द्वारिका शर्मा

पिता का नाम- पूरन शर्मा

वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance
Deptt. of Financial Services
07 NOV 2019
प्रा० सं० / R&I FTS/e-office No. 129/383/19

पूरा पता- जे0/42, प्रथम तल, जोरबाग लेन, पी0एस0-लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

(1) आई0आई0एफ0सी0एल0 (इंडिया इन्फ्रास्ट्रकचर फिनानसियल कारपोरेशन लि0) के मुख्य महाप्रबंधक श्री कृष्णन की नियुक्ति कब और किस प्रक्रिया से हुई ? इनकी अहर्ता क्या है और कब तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है ? इनके विरूद्व अब तक क्या-क्या शिकायतें मिली है और उन शिकायतों पर मंत्रालय द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और नही तो क्यों?

(2) आई0आई0एफ0सी0एस0 और एम0ई0पी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के बीच जो करार हुआ था क्या उसमें यह शर्ते थी कि काम में विलम्ब होने पर आई0आई0एफ0सी0एल0 के द्वारा एम0ई0पी0 से 1 प्रतिशत पेनाल्टी वसूल किया जायेगा ? अगर यह शर्ते नहीं थी तो फिर किस कानून और अधिकार के तहत श्री कृष्णन द्वारा एम0ई0पी0 से 1 प्रतिशत पेनाल्टी वसूल किया गया ? क्या यह पद का दुरूपयोग और निमार्णकर्ता को मानसिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करने का मामला नहीं बनता है ? ऐसे में श्री कृष्णन के विरूद्व सरकार क्या कार्यवाही करने चाहेगी और एम0ई0पी0 से वसूल किये गये पेनाल्टी की राशि ब्याज सहित कब तक वापिस की जायेगी ? श्री कृष्णन जैसे निरंकुश अधिकारियों के कारण ही विपक्षी दलों को बेवजह मोदी सरकार की आलोचना का मौका मिलता है ।

Coordination

IFF

(3) किन अधिकारियों की गलती से 4-5 महीने विलम्ब से एम0ई0पी0 को राशि का भुगतान किया गया, जिससे प्रोजक्टस को पूरा होने में विलम्ब हो रहा है ? यह जिम्मेवारी सुनिश्चित कर सरकार ऐसे अधिकारियों को कब तक दंडित करना चाहेगी ? आई0आई0एफ0सी0एल0 द्वारा अभी तक कितनी राशि एम0ई0पी0 को और देनी है ? इसका भुगतान कब तक किया जायेगा ?

अत: आपसे आग्रह है कि अस्पष्ट और गोल-मोल जवाब के बजाय समय सीमा के भीतर उपर्युक्त सूचनायें विस्तृत, स्पष्ट रूप से और बिन्दुवार अभिप्रमाणित प्रति में दी जाये । इसके लिए मैंने दस रू0 का भारतीय पोस्टल आर्डर नं0 44एफ 083506 संलग्न कर दिया है ।

द्वारिका शर्मा

मो0 - 8445511052